

कारागार में दांपत्य परदिर्शन

स्रोत: द हट्टि

दलिली सरकार कैदियों के लयिे दांपत्य परदिर्शन की अनुमति प्रदान कयिे जाने के प्रस्ताव पर पुनर्वचिार कर रही है ।

■ दांपत्य परदिर्शन:

- इसका तात्पर्य **नजीी पारवारिकि भेंट** से है, जसिमें **कैदी** कारागार के भीतर अपने वधिकि पति/पत्नी के साथ समय व्यतीत करते हैं ।
- **मनोवैज्ञानिकि कल्याण** में सुधार और **कैदियों के वैवाहिकि संबंधों को बनाए रखते हुए** इससे **कैदियों के पुनर्वास तथा दीर्घकालिक सुधार** को बढ़ावा मलिता है ।

■ न्यायकि नरिणय:

- पंजाब एवं हरयिाणा **उच्च न्यायालय** ने वर्ष 2014 में कैदियों के **संतानोत्पत्तिकि अधिकार** को बरकरार रखा था ।
- मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में वैवाहिकि संबंधों के लयिे **पैरोल** की अनुमति दी थी ।
- जुलाई 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने तमलिनाडु सरकार से कारागार परसिर के भीतर **कैदियों के लयिे वैवाहिकि संबंधों** की अनुमति देने पर वचिार करने का आग्रह कयिा था ।

■ अन्य देश: अमेरकिा के कुछ राज्यों में दांपत्य परदिर्शन की अनुमति है, लेकनि संघीय कारागारों में नहीं है ।

- यूरोप में स्पेन, फ्रांस, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश इस प्रकार की भेंट की अनुमति प्रदान करते हैं और स्पेन मासकि एवं स्वीडन 9 घंटे की समयावधि प्रदान करता है ।

और पढ़ें: [भारत में ओपन जेलें](#)